

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2019—आश्विन 25, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

#### संशोधन

अधि. क्र. 22-एफ-1-33-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 अक्टूबर 2018 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 41-एफ-1-33-2018-अठारह-3 में उल्लेखित सारणी के कालम क्र. 05 में उल्लेखित "काम बंदी" के स्थान पर "बंदी" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

अधि. क्र. 22-एफ-1-33-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्र. 22-एफ-1-33-2018-अठारह-3, दिनांक 17 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> October 2019

#### AMENDMENT

Notice No. 22-F 1-33-2018-XVIII-3.—In the notice published in Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 41-F-1-33-2018-XVIII-3, dated 4<sup>th</sup> October, 2018, the word "Kram Bandi" mentioned in 5<sup>th</sup> column of the table, shall be read as "Bandi".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

851